न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–01, केकड़ी (अजमेर).

पीठासीन अधिकारी – जयमाला पानीगर, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग).

फौजदारी जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 142/2026.

अपराध अन्तर्गत धारा – 3, 5, 6, 8, 9 गौवंश अधिनियम.

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 42/2025 पुलिस थाना भिनाय.

1. वकील पुत्र मेम्बर आयु 24 वर्ष.
2. बबलू उर्फ बल्लू पुत्र मेम्बर आयु 22 वर्ष.
निवासीगण गांव सूंपा, पुलिस थाना केकड़ी, जिला–अजमेर (राज.).

..प्रार्थी/अभियुक्तगण.

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक केकड़ी, जिला–अजमेर.

---अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.

उपस्थिति:–

1. श्री चेतन धाभाई, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्तगण.
2. श्री मोहिन्दर कुमार जोशी, अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य.

– **आ दे श** – **दिनांकः–05 जून 2026**.

01– इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण वकील व बबलू उर्फ बल्लू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. का निस्तारण किया जा रहा है। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस जमानत आवेदन सुनी गई।

02– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को पुलिस थाना भिनाय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–42/2025 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9 राजस्थान गौवंश अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने

के आदेश दिए गए। प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02-06-2025 को खारिज कर दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्तगण जाति से बंजारा हैं तथा पशुपालन से ही उनकी जीविका चलती है तथा मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को प्रकरण में जबरन लिप्त किया गया है। बजारा समाज में गाय को अपनी माता के रूप में पूजा जाता है। गाय उनकी आराध्या है। प्रार्थी/अभियुक्तगण जानवरों को बेचने या खरीद-फरोख्त का धंधा नहीं करते हैं, ना ही उनकी किसी प्रकार की बदनीयती रही है। आरोपित अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष हैं, जिन्हें प्रकरण में गलत फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त की पालना करने व आदेशानुसार जमानत, मुचलके पेश करने को तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

03- इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की गम्भीरता व उनके पूर्व आपराधिक रेकार्ड के मद्देनजर अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04- उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध निम्नानुसार पूर्व आपराधिक रेकार्ड दर्ज होना प्रकट है-

क्र. सं.	अपराधी का नाम	एफ.आई. आर संख्या मय दि0 व धारा	नाम थाना	नतीजा मय दिनांक	आरोपी की गिरफ्तारी की दिनांक	रिहाई दिनांक	न्यायालय में चालान पेश करने की दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	बबलू उर्फ बल्लू	227/2023 धारा 142,323,341 भादसं.	केकड़ी सदर	245/23 18.12.23	-	-	-	सजा 19.06.24
2	वकील	33/2023 धारा 142,323,341 भादसं.	केकड़ी सदर	25/23 28.02.23	-	-	-	सजा 06.06.23

05- **Hon'ble Apex court in Zeba Khan V/s State of U.P. & ors. :- CRA -825/2026 dt.11/02/2026** in bail application has directed to provide following details-

(A) CASE DETAILS

- FIR Number & Date**- 42/2025 & 26-02-2025.**
- Police Station, District and State**- Bhinaye, Ajmer.**
- Sections invoked**- 3,5,6,8,9 Govansh Act.**
- Maximum punishment prescribed**- 10 Years**

(B) CUSTODY & PROCEDURAL COMPLIANCE

- Date of Arrest**- 29-05-2026.**
- Total period of custody undergone**- 07 days.**

(C) STATUS OF TRIAL

- Stage of proceedings (Investigation / Chargesheet / Cognizance / Framing of charges / Trail)**- Investigation.**
- Total number of witnesses cited in the chargesheet-**Nil .**
- Number of prosecition witnesses examined**- Nil.**

(D) CRIMINAL ANTECEDENTS

- FIR No. & Police Station- **Mentioned in para no-04.**
- Sections- **Mentioned in para no-04.**
- Status (Pending / Acquitted/ Convicted)- **Mentioned in para no-04.**

(E) PREVIOUS BAIL APPLICATIONS

- Court**- Nil.**
- Case No.**- Nil.**
- Outcome of case**- Nil.**

(F) COERCIVE PROCESSES

- Whether any Non-Bailable Warrant was issued**- Nil.**
- Whether declared a proclaimed offender-**Nil.**

06– प्रकरण में अभियुक्तगण पर दिनांक 25–02–2026 को समय 1.15 ए.एम. या उसके लगभग ग्राम चावंडिया से लक्ष्मीपुरा के बीच घने जंगल में वाहन ट्रक नंबर आर.जे.14–जी.एल.–2274 में कुल 03 गाय व 27 गाय के बछड़ों को वध करने के प्रयोजन से भरकर राज्य के बाहर ले जाने, तथा उनके उचित चारे पानी की व्यवस्था होने व उक्त गौवंश के चोटों के निशान हो रखे होने से उक्त गौवंश के क्षतियां कारित होने व एक गौवंश मृत होने का अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात का वध प्रतिषेध) अधिनियम 1995 के अपराध का आरोप है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण को दिनांक 29–05–2026 को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। मामला ऐसा नहीं है, जिसमें अभियुक्तगण को जमानत के लाभ से वंचित किया जा सके।

07– अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण **(1) वकील व (2) बबलू उर्फ बल्लू** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद 50,000–50,000/–रूपये की दो जमानत व 1,00,000/–रूपये राशि का

स्वयं का मुचलका इन शर्तो के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें कि वे प्रत्येक तारीख पेशी पर विचारण न्यायालय में उपस्थित रहेंगे, प्रकरण के विचारण में विलम्ब नहीं करेंगे, गवाहान को प्रभावित नहीं करेंगे, न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे एवं अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे व अनुसंधान में सहयोग करेंगे तो अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो इस प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 42/2025 पुलिस थाना भिनाय में अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जावे। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
संख्या-एक, केकड़ी, जिला-अजमेर.

08- आदेश आज दिनांक 05-06-2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

RAJENDERA NIRWAN
Steno Gr.-I "Authenticate Document" Digitally signed by RAJENDERA NIRWAN Date: 2026.06.05 13:00:30 +0530

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
संख्या-एक, केकड़ी, जिला-अजमेर.